संख्या-117**/2025/565/41-2-2025-1894977**

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0**,** लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 20 मार्च**,** 2025

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 **के अनुदान संख्या**-44 **के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्ष**-3452-**पर्यटन**-80-**सामान्य**-104-**संवर्धन तथा प्रचार**-03-**अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-119964/3-लेखा/पुनर्विनियोग/2024-25**,** दिनांक 24.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष-**''**3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-01-वेतन मद के अन्तर्गत हो रही बचतों से लेखाशीर्ष ''3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रु**0** 73.00 लाख **(**रू0 तिहत्तर लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष-**''**3452**-**पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-01-वेतन मद के अन्तर्गत हो रही बचतों से लेखाशीर्ष ''3452**-**पर्यटन-80**-**सामान्य-104**-**संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रु**0** 73.00 लाख **(**रू0 तिहत्तर लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से शासन के आदेश संख्या-आई/911230/41-2-2025-CN-1894977, दिनांक 24 मार्च, 2025 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त धनराशि रू0 73.00 लाख **(**रू0 तिहत्तर लाख मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04-मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि 31.03.2025 के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20242025-41-2-2025-CN- 1894977

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्ष ''3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	01 (वेतन)	11,33,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ तैंतीस लाख मात्र	5,33,00,000 रुपये पाँच करोड़ तैंतीस लाख मात्र	73,00,000 रुपये तिहत्तर लाख मात्र	73,00,000 रुपये तिहत्तर लाख मात्र	10,60,00,000 रुपये दस करोड़ साठ लाख मात्र	2024-2025
कुल					**₹ 73,00,000**	**₹ 73,00,000**		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	57,00,000 रुपये सत्तावन लाख मात्र	57,00,000 रुपये सत्तावन लाख मात्र	97,00,000 रुपये सत्तानबे लाख मात्र	2024-2025
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	3,50,000 रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र	3,50,000 रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र	7,50,000 रुपये सात लाख पचास हजार मात्र	2024-2025
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	27,00,000 रुपये सत्ताईस लाख मात्र	2024-2025
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	04 (यात्रा व्यय)	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	17,00,000 रुपये सत्रह लाख मात्र	2024-2025
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	02 (मजदूरी)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र	6,50,000 रुपये छह लाख पचास हजार मात्र	2024-2025
कुल				**₹ 73,00,000**	**₹ 73,00,000**		

उपरोक्त पुनर्विनियोग धनराशि निम्नलिखित शर्तो व प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

1- उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक ''3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-01-वेतन मद में रु0 200.00 लाख की बचत सम्भावित है। उक्त मद में रु0 1133.00 लाख का प्राविधान किया गया था। वर्तमान में इस मद में रु0 200.00 लाख की आवश्यकता न होने के कारण इस मद में बचत सम्भावित है।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है। उक्त तालिका में वर्णित अतिरिक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध धनराशि से अधिक धनराशि की आवश्यकता होने के कारण है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

4- वित्तीय वर्ष 2024-25 की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आंकलित है।

संख्या:RE-budget-1-647-E-7-330-X-2024-25-दिनांक:19-03-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0 प्रयागराज

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(मंजीत सिंह)
अनु सचिव।

संख्या - आई/911230/41-2-2025-CN-1894977, दिनांक 20 मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।